# झारखण्ड विधान सभा

## ध्यानाकर्षण सूचना

**पंचम् झारखण्ड विधान-सभा**
**पंचदश (बजट) सत्र**

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 29.02.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 01. | 02. | 03. | 04. |
| 01- | श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0 श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता स0वि0स0 | साहेबगंज जिला के राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड क्रमशः साहेबगंज सदर, राजमहल एवं उधवा में बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि का गलत तरीके से बन्दोवस्ती की जा रही है, जिसमें कैसर-ए-हिन्द, गैर मजरूआ आम व खास, गोचर, वन भूमि, नदी तटीय क्षेत्र, धार्मिक न्यास भूमि और रेलवे की परिसम्पत्तियाँ शामिल है। साथ ही इन प्रखण्डों में से ज्यादातर राजमहल एवं उधवा में धड़ल्ले से अवैधानिक रूप से सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती जारी है। इन क्षेत्रों के जमीन के भू-अभिलेखों और संबंधित विभागीय कार्यालयों में बिचौलियों की मिलीभगत से यह अवैधानिक कार्य होते आ रहें है, जिससे राज्य की स्थायी सम्पति का बंदरवाट और विकासात्मक कार्य में भी कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही है। इन तथ्यों के उच्चस्तरीय जाँच करायी जानी चाहिए और इसमें संलिप्त लोगों को चिन्हित कर विधि-सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि राजकीय सम्पत्ति का ससमय विकासात्मक कार्य योजना व क्रियान्वयन के समय आवश्यकता की पूर्ति हो सके। | राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार |

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | अतः सदन के माध्यम से यह मांग करता हूँ कि राज्य के विकासात्मक कार्य में अवरोधात्मक तत्वों के समाधान की दिशा में उक्त वर्णित क्षेत्र में असंवैधानिक रूप से जमीन व जमीन संबंधित भूअभिलेखों में गड़बड़ियों में उच्चस्तरीय जाँच कराने और विधि सम्मत कार्रवाई की जाय, जिस हेतु मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। | |
| 02- | **श्री कमलेश कुमार सिंह स0वि0स0** | विगत दिनों हुसैनाबाद-हरिहरगंज विधान सभा क्षेत्र सहित सम्पूर्ण पलामू जिले में आंधी-तूफान व ओलावृष्टि से कई लोगों के कच्चे मकान ध्वस्त हो गए तथा किसानों के रवि फसल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। विगत-2 वर्षो से अनावृष्टि के कारण सुखाड़ का दंश झेल रहे पलामू जिले के किसानों का पहले से ही आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी नहीं है। उसमें ओलावृष्टि से रवि फसल नष्ट होने के बाद किसानों की आर्थिक स्थिति की सहज कल्पना की जा सकती है।<br>अतः मैं सदन के माध्यम से हुसैनाबाद-हरिहरगंज विधान सभा क्षेत्र सहित संपूर्ण पलामू जिले में आंधी-तूफान व ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त सभी मकान मालिकों को अबुआ आवास योजना के तहत प्राथमिकता देते हुए आवास स्वीकृत करने तथा किसानों के क्षतिग्रस्त फसल का उचित मुआवजा देने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। | **गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन** |
| 03- | **श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की स0वि0स0<br>श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0<br>श्री विकास कुमार मुण्डा स0वि0स0** | विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-3 के तहत बिहार पुनर्गठन अधिनियम संख्या-30/2000 के विधि संगत नियमानुसार दिनांक-15 नवम्बर, 2000 को झारखण्ड राज्य का गठन हुआ है।<br>सर्वविदित है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम के खण्ड-(x) की धारा-85 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों के | **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा** |

कृ0पृ0उ0-

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | अधीन पूर्ववर्ती राज्य बिहार के सभी अधिनियम/कानून पुनर्गठन के बाद बिहार एवं नये राज्य झारखण्ड में समान रूप से लागू है, जबतक कि उक्त अधिनियम/कानून में संशोधन सम्बंधित राज्य द्वारा न किया जाए।<br>यह भी विदित हो, उपरोक्त बिहार पुनर्गठन अधिनियम के नियमानुसार झारखण्ड के लिए बनी जनजातीय आदेश को भी पूर्ववर्ती आदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश सं0-108/1976 के अनुरूप होना चाहिए था, किन्तु ऐसा न होकर उपरोक्त जनजाति आदेश सं0-108/1076 के भाग-iii बिहार राज्य के जनजाति सूची के क्रम संख्या-22-Lohara, Lohra के स्थान पर केवल झारखण्ड की जनजातीय सूची के क्रम संख्या-21 पर Lohra दर्ज किया गया है, जबकि पूर्ववर्ती सभी जनजातीय आदेश में Lohara और Lohra संयुक्त रूप से अधिसूचित है।<br>संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में अधिसूचित "Lohara" देवनागरी लिपि में "लोहार" है और Lohra शब्द लोहार के लिए प्रयुक्त क्षेत्रीय नाम अथवा उपनाम है। राँची जिला गजेटियर के अवलोकन से इसकी सहज पुष्टि होती है।<br>अतः बिहार पुनर्गठन अधिनियम संख्या- 30/2000 के तहत् झारखण्ड की वर्त्तमान जनजातीय सूची को पूर्ववर्त्ती जनजातीय आदेश-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम संख्या-108/1976 के अनुरूप संशोधित करने हेतु विधिसम्मत अनुशंसा संबंधित विभाग/केन्द्र सरकार को भेजने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहती हूँ। | |

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| 04- | श्री अमित कुमार यादव स0वि0स0<br>श्री राजेश कच्छप स0वि0स0 | झारखण्ड राज्य में ग्रामीण कार्य विभाग तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् कराये जा रहे पथ निर्माण/मरम्मति कार्य हेतु एक से अधिक-4-5 पथों का समूह बनाकर निविदा आमंत्रित की जा रही है, जिससे 1 ग्रुप में 4-5 पथ होने के कारण निर्माण कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है और योजनायें अधूरी रह जा रही है, जिससे आम जनता के बीच भारी आक्रोश है, क्योंकि इन्हें आवागमन में घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही निविदा में असीमित न्यूनतम वित्तीय दर प्रतिशत दर्ज कर निविदा प्राप्त करने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है और निर्माण कार्य भी अत्यंत ही निर्धारित मानक के विपरीत निम्न स्तर का किया जाता है।<br>अतः व्यापक लोकहित में पथ निर्माण कार्य में ग्रुप व्यवस्था को समाप्त कर अलग-अलग निविदा आमंत्रित कर कार्य कराने तथा पूर्व की भाँति वित्तीय दर अधिकतम 10 प्रतिशत तक न्यूनतम दर दर्ज करने का प्रावधान पुनः लागू कराने हेतु सदन एवं सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।<br>राज्य में लगभग सभी सरकारी विभागों में विकास योजनाओं का निविदा निस्तारण ऑनलाईन प्रणाली से किया जा रहा है। निविदाओं का निष्पादन निविदा नियमावली के नियमों की अनदेखी करते हुए PWD CODE का उल्लंघन किया जा रहा है। EMD के विरूद्ध 10% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन कर संवेदकों को 49 से 50 प्रतिशत BELOW पर TENDER डालने पर मजबुर किया जा रहा है। इसके कारण कार्ययोजनाओं को गुणवत्ता पर प्रतिकुल प्रभाव तो पड़ा ही रहा है साथ ही साथ विभागीय स्तर पर संगठित भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कहीं न कहीं राज्य- योजनाओं की प्राक्कलित राशि को बचाने के | ग्रामीण कार्य |

कृ0पृ030-

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | नाम पर भ्रष्टाचार का सोची समझी साजिश है, जिसका शिकार संवेदक के साथ-साथ जनता हो रही है।<br>अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ कि निविदाओं के निस्तारण में Bihar की तर्ज पर EMD राशि की अधिकतम BELOW राशि 10 प्रतिशत करने की नियमावली तत्काल बनाई जाय। | |
| 05- | श्री नारायण दास<br>स0वि0स0<br>श्री समरी लाल<br>स0वि0स0<br>डॉ0 लम्बोदर महतो<br>स0वि0स0 | "राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली द्वादश ज्योर्तिलिंग बाबा वैद्यनाथ की पावन धरती देवघर में झारखण्ड राज्य गठन के 24 वर्षो बाद भी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो पाई है। राज्य में करीब चार-पाँच संस्कृत महाविद्यालय स्थापित है, जो भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त किये हुए है। देवघर आदिकाल से भारत की आध्यात्मिक केन्द्र रूप में अपनी पहचान रखती है, जहाँ प्रत्येक दिन वैदिक मंत्रोचार, ऋषि-मुनियों एवं संत महात्माओं की शरण स्थली रही है। देवघर की पौराणिकता और अध्यात्मिकता को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर राज्य गठन के बाद से ही राज्य के सभी संस्कृत महाविद्यालयों के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग होती रही है, ताकि राज्य की संस्कृति व संस्कृत का संरक्षण व संवर्द्धन हो।"<br>अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि उक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में अविलम्ब कार्रवाई हेतु स्वीकृति प्रदान करे, जिस हेतु मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा |

राँची,
दिनांक- 29 फरवरी, 2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-86/2024-2996/वि0 स0, राँची, दिनांक- 28/02/24

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/ सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग एवं सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2024
(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-86/2024-2996/वि0 स0, राँची, दिनांक- 28/02/24

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/2024
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

28/02/2024